दिनेश कुमार भा.प्र.से., आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.2026 (गुरूवार) को 11:30 बजे पूर्वाह्न में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बाढ़-सुखार से संबंधित प्रमंडलीय समन्वय की बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित समाहर्त्ता/ उप विकास आयुक्त/ अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज का स्वागत किया गया। तदोपरांत जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी :-

1. <u>नाव की संख्या :-</u>

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल अन्तर्गत जिलों के लिए नावों का भाड़ा निर्धारण कर लिया गया है। पूर्णिया जिला में उपलब्ध सरकारी नाव 29 है एवं उपलब्ध निजी नाव की संख्या-80 है। कटिहार जिला में 197 सरकारी नाव उपलब्ध है तथा निजी नाव की संख्या-317 है। अररिया जिला में उपलब्ध सरकारी नाव 123 है। किशनगंज जिला में उपलब्ध सरकारी नाव 06 है एवं उपलब्ध निजी नाव की संख्या 33 है।

सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि बकाये राशि, यदि कोई हो तो, का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे तथा सभी नावों का सुरक्षा मानकों व दिशा निर्देशों के अनुसार जाँच कर संतुष्ट होने का निदेश दिया गया।

2. <u>मानव एवं पशु दवा की उपलब्धता :-</u>

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल अन्तर्गत चारों जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज में क्रमशः 67, 61, 23 एवं 31 प्रकार की मानव दवा उपलब्ध है।

इसी प्रकार चारों जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज में क्रमशः 42, 44, 44 एवं 44 प्रकार का पशु दवा उपलब्ध है।

पूर्णिया जिले में 25 कि0ग्रा0 का 183 बैग, कटिहार में 25 कि0ग्रा0 का 381 बैग, अररिया में 25 कि0ग्रा0 का 525 बैग एवं किशनगंज में 25 कि0ग्रा0 का 54 बैग ब्लीचिंग पॉउडर उपलब्ध है।

समीक्षोपरांत यह निर्देश दिया गया कि सभी जिले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मानव व पशुओं हेतु आवश्यकतानुसार एंबुलेंस, चलंत मेडिकल टीम, मेडिकल कैंप, ब्लीचिंग पॉउडर आदि की ससमय पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

3. <u>सूखा राशन का दर निर्धारण :-</u>

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चारों जिले में निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है एवं कायदिश निर्गत कर लिया गया है।

सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि सूखा राशन का पर्याप्त मात्रा में ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

4. <u>पॉलीथीन शीट्स कल उपलब्धता :-</u>

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल अन्तर्गत जिले पूर्णिया में 22865, कटिहार में 49338, अररिया में 40790 उपलब्ध है। कटिहार, अररिया एवं किशनगंज जिला द्वारा क्रमशः 73400, 10000 एवं 6000 पॉलीथीन शीट्स की अधियाचना नोडल जिला पूणिया को भेजा गया है। पूर्णिया जिला द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-2028 के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर सफल निविदा दाता के साथ एकरारनामा कर लिया गया है।

सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि पॉलीथीन शीट्स की पर्याप्त उपलब्धता ससमय सुनिश्चित करेंगे।

5. **जी.आर. सूची :-**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्णिया जिले में कुल 299107 लाभार्थी है, कटिहार जिला में कुल 590223 लाभार्थी है, किशनगंज जिला में कुल 169625 सूची लॉक है एवं इस साल जोड़े गये परिवारों की संख्या 435, नए हटाये गये परिवारों की संख्या 263 है। जबकि अररिया जिला में नयी प्रविष्टि 2334 है।

सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि जी.आर. सूची का नियमानुसार अद्यतीकरण एवं सभी लाभार्थियों का आधार आच्छादन 30.06.2026 तक कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. **बाढ़ आश्रय स्थल :-**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्णिया जिला में 344, कटिहार जिला में 417, अररिया में 363 एवं किशनगंज में 220 बाढ़ आश्रय स्थल चिन्हित किया गया है।

सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि उक्त आश्रय स्थलों की टीम गठित करते हुए पीने का पानी, विद्युत आपूर्ति, शौचालय, साफ-सफाई एवं अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की जाँच कर आवश्यक व्यवस्था ससमय सुनिश्चित की जाए।

7. **सामुदायिक रसोई :-**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल अन्तर्गत जिलों में से पूर्णिया में 291, कटिहार में 627, अररिया में 397 एवं किशनगंज में 220 सामुदायिक रसोई केन्द्र चिन्हित किया गया है।

सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि उक्त सामुदायिक रसोई केन्द्रों पर पीने का पानी, विद्युत आपूर्ति, शौचालय, साफ-सफाई एवं अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की जाँच कर आवश्यक व्यवस्था ससमय सुनिश्चित की जाए।

8. **पशु चारा का दर निर्धारण :-**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चारों जिला में पशु चारा संबंधी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तथा कार्यादेश निर्गत है।

सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि पर्याप्त मात्रा में पशुचारा की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय।

9. **नहर की मरम्मति :-**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बैठक में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा बताया गया कि नहर की मरम्मति हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल को आवश्यक निदेश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया बरसात के समय पानी के सुगम बहाव हेतु पुल/पुलिया के नीचे Vent की साफ-सफाई एवं मरम्मति ससमय पूर्ण कर लिया जाय। सभी पुल/पुलिया एवं क्षतिग्रस्त पहुँच पथ की अविलंब मरम्मति कर मोटरेबुल बना दिया जाय।

सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि नहरों एवं तटबंधों का लगातार अनुश्रवण करते रहेंगे तथा संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को नहरों/तटबंधों का टूटान न हो, इस संबंध में उन्हें लगातार पेट्रोलिंग करते रहने हेतु आवश्यक निर्देश देंगे।

10. **वर्षा मापक यंत्र :-**

समीक्षा के क्रम में सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि वर्षा मापक यंत्रों को क्रियाशील रखेंग तथा इससे संबंधित सूचनाओं का लगातार प्रसारण भी समय-समय पर करते रहेंगे।

11. **प्रमंडल अन्तर्गत तीनों जिलों में पूर्व के वर्षों का सभी तरह के अनुदानों/अनुग्रह अनुदानों के भुगतान के लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।**

12. कटाव पीड़ित परिवारों का यथाशीघ्र पुनर्वासित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनश्चित करेंगे।
13. प्रशिक्षित गोताखोड़ों की सूची उनके मोबाईल न0 के साथ प्रचारित करने एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
14. बिजली के क्षतिग्रस्त तारों, खम्भों की मरम्मति करने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलिया की साफ-सफाई एवं मरम्मति ससमय पूर्ण कर लिये जाने का भी निदेश दिया गया।
15. NDRF एवं SDRF के टीमों को बाढ़ की स्थिति में अलर्ट मोड में रखने का निदेश जिला पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही नियमित रूप से अंचल, पंचायत स्तर पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम शिविर लगाने तथा मॉकड्रील कराने का निदेश दिया गया।
16. नोडल जिले को आवश्यकतानुसार पॉलीथिन शीट्स संबंधित दोनों जिलों को मांग के आधार पर उपलब्ध कराने एवं आवश्यकतानुसार तीनों जिलों में टेंट, पंडाल, खाद्य सामग्री आदि की व्यवस्था ससमय कर लिये जाने का निदेश दिया गया।
17. सभी चिन्हित आश्रय स्थलों पर अविलंब पूर्व से उपलब्ध चापाकलों एवं शौचालय का निरीक्षण कराकर आवश्यकतानुसार चापाकलों की मरम्मति एवं शौचालय का निर्माण कार्य करा लिया जाय।
18. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सर्पदंश के लिए इलाज एंटी स्नेक वेनम सहित आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय।
19. बाढ़ पूर्व तटबंधों से अतिक्रमण हटाने को प्राथमिकता दी जाय ताकि तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
20. प्रमंडल के चारों जिलों में आपातकालीन नियंत्रण कक्ष 24X7 सुचारू रूप से कार्य करे इसे अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 3228 पूर्णिया, दिनांक 27/06/26

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, आपदा, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 3228 पूर्णिया, दिनांक 27/06/26

प्रतिलिपि :- सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।